पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

मिशन शक्ति 5.0- सुरक्षा, शिक्षा, अधिकार, हर महिला को मिलेगा सम्मान अपार।"

थाना बीबीडी की टीम द्वारा प्राइमरी पाठशाला उत्तर धोना में छात्र व छात्राओं को मिशन शक्ति के तहत महिलाए व स्कूली बच्चो किया गया जागरूक । महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों, हेल्पलाइन और साइबर फ्रॉड से बचाव की दी गई जानकारी।

दिनांक- 28.04.2026

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना बीबीडी द्वारा प्राइमरी पाठशाला उत्तर धोना, बीबीडी पर मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- ✓ महिला उपनिरीक्षक प्रियतमा तिवारी सरोज, थाना बीबीडी , लखनऊ कमिश्नरेट
- ✓ थाना बीबीडी क्षेत्र प्राइमरी पाठशाला उत्तर धोना।

प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक प्रियतमा तिवारी सरोज, थाना बीबीडी , लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना बीबीडी क्षेत्र प्राइमरी पाठशाला उत्तर धोना में छात्र व छात्राओं एवं पूर्व से मौजूद डॉक्टरों की टीम को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

लखनऊ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की गंभीर प्रतिबद्धता के तहत, दिनांक 28.04.2026 को थाना बीबीडी क्षेत्र क्षेत्र प्राइमरी पाठशाला उत्तर धोना में छात्र व छात्राओं एवं पूर्व से मौजूद डॉक्टरों जो बच्चों के दांतों के चेकअप करने आये थे उनके साथ मिलकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम संवाद कर उन्हे अपराध, साइबर अपराध, सी.ई.आई.आर. पोर्टल, यूपी कॉप ऐप तथा विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

विशेष रूप से 1090 (महिला पावर लाइन), 112 (आपातकालीन सेवाएं), 108 (एम्बुलेंस सेवा), 1098 (चाइल्डलाइन) और 1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन) के उपयोग के बारे में बताया गया। साथ ही, साइबर फ्रॉड से बचने के उपायों, महिला हेल्प डेस्क के कार्यों तथा मिशन शक्ति केंद्र की भूमिका से अवगत कराया गया। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना, महिला शक्ति को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करना, छात्र-छात्राओं को मिशन शक्ति एवं साइबर अपराधों के प्रति शिक्षित करना तथा हेल्पलाइन नंबरों की उपयोगिता से परिचित कराना था। इसके माध्यम से बालिकाओं को उनके भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया गया और ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षा संबंधी विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- महिला शक्ति को प्रोत्साहित करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करना।
- छात्र-छात्राओं में मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

टीम ने थाना स्थानीय पर संचालित **महिला सुरक्षा केंद्र** एवं **महिला हेल्प डेस्क** के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी और महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित होने हेतु प्रेरित किया।

निष्कर्ष एवं महत्व:

यह कार्यक्रम महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें पुलिस की सहायता तक आसान पहुँच प्रदान करने के मिशन शक्ति के व्यापक उद्देश्य को रेखांकित करता है।

पिंक बूथ आमतौर पर पुलिस या महिला हेल्पलाइन से जुड़ी होती है। उनका सीधा संपर्क राहगीरों से होना एक प्रभावी तरीका है ताकि आम जनता, विशेष रूप से महिलाएं और युवतियां, सीधे तौर पर जानकारी हासिल कर सकें और अपनी समस्याओं को साझा कर सकें।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

मिशन शक्ति 5.0- आत्म-सुरक्षा के गुर सिखाकर आत्मविश्वास की नई परिभाषा लिखी।

थाना बाजारखाला टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत बीट संख्या 05 मिल एरिया व बीट संख्या 06 गुलज़ारनगर बाजारखाला क्षेत्र में भ्रमणशील होकर महिलाओं व बच्चों को आत्म-सुरक्षा के गुर के साथ यातायात के बारे में दी गई विशेष जानकारी।

दिनांक: 28.04.2026

मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। यह मिशन उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने, आत्मरक्षा के गुर सिखाने और आपात स्थितियों में त्वरित मदद के लिए उपलब्ध विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं से जोड़ने का कार्य करता है। इसका लक्ष्य एक ऐसा सशक्त और संवेदनशील वातावरण निर्मित करना है जहाँ प्रत्येक महिला और बालिका निर्भय होकर अपने भविष्य का निर्माण कर सके।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित *"मिशन शक्ति 5.0"* अभियान महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त पहल है। यह अभियान महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराता है और समाज में समानता, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करता है।

आयोजन का विवरण:

- ✓ महिला आरक्षी अर्चना, थाना बाजारखाला, लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ बीट संख्या 05 मिल एरिया व बीट संख्या 06 गुलज़ारनगर बाजारखाला क्षेत्र में।

आयोजक टीम:

- महिला आरक्षी अर्चना, थाना बाजारखाला, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी जैमिनी सिंह, थाना बाजारखाला, लखनऊ कमिश्नरेट।
- बीट संख्या 05 मिल एरिया व बीट संख्या 06 गुलज़ारनगर बाजारखाला क्षेत्र में भ्रमण शील होकर पर महिलाओं व बच्चों को किया गया जागरूक।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

आज दिनांक 28.04.2026 को बीट संख्या 05 मिल एरिया व बीट संख्या 06 गुलज़ारनगर बाजारखाला में भ्रमणशील होकर महिलाओं व छात्राओं को एंटी रोमियो व मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला अपराधों की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1098, 1090, 181, 1076, 101, 112, 102, 108 एवं अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त एंटी रोमियो टीम, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक मोबाइल, साइबर हेल्प डेस्क एवं महिला शक्ति केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही साथ साइबर अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए उनके प्रति सचेत किया गया तथा उनसे बचाव के उपायों हेतु टोल फ्री नंबर 1930 के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई।

कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलू:

थाना बाजारखाला की ओर से आयोजित एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम में "मिशन शक्ति" के नारों से वातावरण गूँज उठा। यह कार्यक्रम में छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा उभरती चुनौती साइबर क्राइम से बचाव के गुर सिखाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दीं।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

थाना बाजारखाला क्षेत्र में आयोजित इस मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके **कानूनी अधिकारों**, **सुरक्षा उपायों**, **सरकारी योजनाओं** एवं **आत्मरक्षा के तरीकों** के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु** कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:

1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 1098 (चाइल्डलाइन), 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन), UP-COP मोबाइल ऐप का उपयोग

इसके साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे**, **फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट**, एवं **एंटी रोमियो स्क्वॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

उद्देश्य एवं महत्व-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास करा रहा है, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रख रहा है

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

मिशन शक्ति 5.0-"जागरूकता जगाएं, मिशन शक्ति से जुड़ें, सुरक्षित और सशक्त समाज बनाएं।"

थाना बंथरा पुलिस टीम द्वारा हरौनी कस्बा में चौकी के सामने छात्राओं व महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत साइबर अपराध, हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर अपराध व अपराध से बचाव को लेकर किया गया जागरूक।

दिनांक- 28.04.2026

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना बंथरा द्वारा मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें राहगीर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला आरक्षी लक्ष्मी, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- आरक्षी अजय कुमार, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- हरौनी कस्बा चौकी हरौनी थाना बंथरा लखनऊ में

प्रतिभाग-

- महिला आरक्षी लक्ष्मी, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- आरक्षी अजय कुमार, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- हरौनी कस्बा चौकी हरौनी थाना बंथरा लखनऊ में भ्रमणशील होकर महिलाओं एवं छात्राओं को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक **28.04.2026** को थाना बंथरा, लखनऊ के अंतर्गत हरौनी कस्बा चौकी हरौनी में भ्रमण कर **मिशन शक्ति** अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान टीम ने महिलाओं और बालिकाओं के बीच पहुंचकर उन्हें **महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और साइबर अपराधों** से बचाव के प्रति सचेत किया।

किसी भी आकस्मिक परिस्थिति या सहायता हेतु महिलाओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे **1090 (वूमेन पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा) और 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)** के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्हें ये नंबर नोट भी कराए गए। इसके साथ ही, महिलाओं को पिंक बूथ की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक किया गया ताकि वे बिना किसी संकोच के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। साइबर सुरक्षा के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिससे वे डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षित रह सकें और निडर होकर समाज में अपनी भूमिका निभा सकें।।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत स्थापित पिंक बूथ का मुख्य उद्देश्य-

महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेषज्ञ, संवेदनशील और अनुकूल सहायता केंद्र प्रदान करना है, जहाँ वे आसानी से पहुँच सकें और बिना किसी झिझक या भय के अपनी समस्याओं व शिकायतों को दर्ज करा सकें। इसे विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है:

1. महिला-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना: पिंक बूथ को एक ऐसा स्थान बनाना जहाँ महिलाएँ और बच्चे स्वयं को सुरक्षित और सहज महसूस करें। यह पारंपरिक पुलिस थानों की तुलना में कम डरावना और अधिक सहायक माहौल प्रदान करता है।
2. विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्यबल: इन बूथों पर महिला पुलिस कर्मी तैनात की जाती हैं, जिन्हें महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों, मनोवैज्ञानिक समर्थन और संवेदनशील संचार में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।
3. तत्काल हस्तक्षेप और कार्रवाई: ये बूथ शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। इन्हें मिशन शक्ति के अन्य घटकों जैसे एंटी-रोमियो स्क्वाड, महिला सुरक्षा केंद्र और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों (1090, 112, 181 आदि) से सीधे जोड़ा जाता है, ताकि तुरंत सहायता भेजी जा सके।
4. जागरूकता और रोकथाम: पिंक बूथ न केवल प्रतिक्रियात्मक हैं, बल्कि सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। इनके माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है।
5. डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा: महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराधों (जैसे- ऑनलाइन उत्पीड़न, फ़िशिंग आदि) के खतरों से बचाव के तरीकों और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना भी इनका एक उद्देश्य है।

पिंक बूथ का उद्देश्य पुलिस प्रणाली में महिलाओं के प्रति विश्वास और पहुँच बढ़ाना है। यह केवल एक शिकायत केंद्र नहीं, बल्कि एक समर्पित सहायता प्रणाली है जो महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाता है।

सारांश:

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चो को अपराधों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें यह आत्मविश्वास देना था कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्हें डरने के बजाय, किसी भी अनहोनी की स्थिति में तुरंत 1090 या 112 पर कॉल करके मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 28.04.2026

मिशन शक्ति 5.0 - शिक्षा की रोशनी, सुरक्षा की शक्ति, इंटौजा पुलिस के साथ मिशन शक्ति!"

थाना इंटौजा टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत ग्राम प्राथमिक विद्यालय मोहना चौकी क्षेत्र में छात्र व छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर, साइबर अपराध, सरकारी योजनाओं एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करके यूपी-कॉप (UP-COPS) के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश सरकार की एक अभूतपूर्व पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित और सक्षम बनाना है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक समग्र अभियान है।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और **पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के** मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है

आयोजक/आयोजन स्थल-

- महिला उप निरीक्षक श्री सुमन सैनी, थाना इंटौजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार, थाना इंटौजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना इंटौजा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मोहना चौकी क्षेत्र में

प्रतिभाग-

- ✓ महिला उप निरीक्षक श्री सुमन सैनी, थाना इंटौजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार, थाना इंटौजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ म0हे0का0 कुसुम लता, थाना इंटौजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ थाना इंटौजा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मोहना चौकी क्षेत्र में छात्र व छात्राओं सहित अध्यापक व अध्यापिकाओं को किया गया जागरूक।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 28.04.2026 थाना इंटौजा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मोहना चौकी क्षेत्र में थाना स्थानीय से मौजूद फोर्स द्वारा महिलाओं एवं छात्र-छात्राओं व महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।

छात्र व छात्राओं को जागरूक करते हुए पुलिस हेल्पलाइन नंबर जैसे 112, 1090,181,1076 एवं अन्य महत्वपूर्ण नंबरो के साथ ही महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा केंद्र (वीमेन पावर लाइन), महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र व साइबर क्राइम, यूपी कॉप एप, आदि के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी गई तथा साइबर क्राइम से बचाव और सुरक्षा के सम्बन्ध में अवगत कराया गया एवं मिशन शक्ति फेज 05.0 के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं(शिक्षा/ बैंक सुविधा/ विधवा पेंशन योजना व अन्य) के बारे में जरिए पेम्फलेट महिला सशक्तिकरण संबंधी जागरुकता अभियान चलाया गया।

मिशन शक्ति 5.0: एक संक्षिप्त विवरण

मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

मुख्य कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य:

1. सुरक्षा एवं सजगता: महिलाओं एवं छात्राओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों (जैसे यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा) से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना।
2. हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार-प्रसार: महिला हेल्पलाइन नंबर 112, 1090 (वूमेन पावरलाइन), और 181 (महिला हेल्पलाइन) जैसे महत्वपूर्ण नंबरों से अवगत कराना, ताकि संकट की स्थिति में तुरंत मदद ली जा सके।
3. शिक्षा का महत्व: लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें शैक्षिक अधिकारों के प्रति सजग करना।
4. कानूनी अधिकारों की जानकारी: महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और संरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों (जैसे POCSO अधिनियम) की जानकारी देना।
5. सामुदायिक सहयोग: पुलिस और समुदाय के बीच सहयोग बढ़ाकर एक सुरक्षित माहौल बनाना।

निष्कर्ष

मिशन शक्ति 5.0 महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सराहनीय और सतत प्रयास है। यह अभियान केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनने का प्रयास है। महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और हेल्पलाइन सुविधाओं से अवगत कराकर यह अभियान उन्हें आत्मनिर्भर और सजग नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर रहा है।

इसके माध्यम से न केवल भयमुक्त वातावरण का सृजन हो रहा है, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण की नींव रखी जा रही है जहाँ महिलाएं सुरक्षित रहते हुए अपनी शिक्षा और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। संक्षेप में कहें तो, मिशन शक्ति 5.0 महिला सुरक्षा को एक जन-आंदोलन का रूप देकर 'सबकी सुरक्षा-सबकी भागीदारी' के सिद्धांत को साकार करने की एक प्रभावशाली पहल है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 28.04.2026

मिशन शक्ति 5.0- थाना अलीगंज में महिलाओं को हेल्पलाइन नम्बरों की दी गई जानकारी।

थाना अलीगंज टीम द्वारा थाना क्षेत्र में भ्रमणशील होकर मिशन शक्ति अभियान के तहत विभिन्न हेल्पलाइन नंबर, थानों पर स्थापित महिला शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी जैसी सुविधाओं के बारे में जानकारी देकर साइबर क्राइम एवं यूपी कॉप एप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियो से किया गया जागरूक।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण एवं पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशों के अनुपालन में, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान करने हेतु 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ किया गया है। यह अभियान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है।

अभियान के तहत, श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में, जनपद लखनऊ में स्थित सभी 54 थानों पर 'मिशन शक्ति केंद्र' की स्थापना की जा चुकी है। इन केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं से संबंधित शिकायतों और समस्याओं का त्वरित एवं संवेदनशील निस्तारण सुनिश्चित करना है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- महिला उपनिरीक्षक शिवानी मिश्रा, थाना अलीगंज लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना अलीगंज लखनऊ कमिश्नरेट क्षेत्रान्तर्गत ।

प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक शिवानी मिश्रा, थाना अलीगंज लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक रवीन्द्रनाथ प्रजापति, थाना अलीगंज लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना अलीगंज लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील होकर महिलाओं व बच्चों को किया गया जागरूक।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 28.04.2026 को मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत थाना अलीगंज टीम द्वारा भ्रमणशील होकर महिला उपनिरीक्षक शिवानी मिश्रा व उपनिरीक्षक रवीन्द्रनाथ प्रजापति द्वारा महिलाओं व बच्चों को अभियान के तहत थानों पर स्थापित महिला शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी जैसी सुविधाओं के बारे में जानकारी देकर साइबर क्राइम, यूपी कॉप एप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियो, विभिन्न हेल्पलाइन नंबर (1090, 181, 112, 1930 आदि) तथा यातायात माह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करके जागरूक किया गया।

साथ ही यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और गति सीमा का पालन करने का आह्वान किया गया तथा पम्पलेट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना तथा उनकी सुरक्षा एवं समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रोत्साहित करना था।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

1. महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सुरक्षा योजनाओं (जैसे हेल्पलाइन नंबर 1090, 181, 112, 1930, एंटी-रोमियो टीम, महिला शक्ति केंद्र, पिंक बूथ) की व्यापक जानकारी प्रदान करना।
2. उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुनकर, थाना स्तर पर उपलब्ध समाधान तंत्र (महिला हेल्प डेस्क, पिंक स्कूटी आदि) से अवगत कराना और मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
3. साइबर अपराध और उससे बचाव के उपायों के बारे में शिक्षित करना तथा यूपी-कोप एप जैसे डिजिटल सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सिखाना।
4. यातायात माह के अवसर पर सड़क सुरक्षा नियमों (हेलमेट का उपयोग, गति सीमा का पालन) का पालन करने के लिए प्रेरित करना।
5. समग्र रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करते हुए, उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का त्वरित और प्रभावी समाधान पाने के लिए आवश्यक ज्ञान और आत्मविश्वास से लैस करना।

कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य:

कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था, जिसके अंतर्गत उन्हें राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबर, एंटी रोमियो टीम, महिला शक्ति केंद्र, पिंक बूथ जैसी सुरक्षा योजनाओं की व्यापक जानकारी प्रदान करना, थाना स्तर पर उपलब्ध महिला हेल्प डेस्क और पिंक स्कूटी जैसी सुविधाओं से अवगत कराना, साइबर अपराधों से बचाव एवं यूपी कॉप एप के उपयोग की जानकारी देना, साथ ही यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करना शामिल था, ताकि महिलाओं को उनकी सुरक्षा संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु आवश्यक ज्ञान और आत्मविश्वास से लैस किया जा सके।

निष्कर्ष-

उपरोक्त कार्यक्रम मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत एक सार्थक पहल सिद्ध हुआ। इसके माध्यम से थाना अलीगंज में भ्रमणशील होकर महिलाओं को उनकी सुरक्षा एवं अधिकारों से संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान की गई, जिसमें विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं, थाना-स्तरीय सुविधाओं तथा साइबर सुरक्षा नियमों का समावेश था। कार्यक्रम ने न केवल महिलाओं को आवश्यक ज्ञान और संसाधनों से सशक्त बनाया, बल्कि उन्हें अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रोत्साहित भी किया। यह आयोजन महिला सुरक्षा एवं जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ तथा भविष्य में इसी प्रकार के सामुदायिक सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-687

दिनांक-28.04.2026

मा0 न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम यथासंशोधित उ0प्र0 गोवध निवारण संशोधन अधिनियम 2020 की घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या UP32 NV6783 (स्कूटी को राज्य के पक्ष में अधिहरण (Confiscate) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

थाना चौक, लखनऊ द्वारा इस आशय से आख्या प्रस्तुत की गयी कि **थाना चौक, लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 244/2025 धारा 325 बीएनएस, दौराने विवेचना परिवर्तित धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम 1955 यथासंशोधित अधिनियम 2020** से सम्बन्धित वाहन संख्या UP32 NV6783 (स्कूटी) चेसिस नं0 ME4JK156JPD176576, इंजन नं0 JK15ED5176609, उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व उ0प्र0 गोवध निवारण नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए गोमांस के परिवहन में जानबूझ कर प्रयुक्त किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त वाहन को राज्य के पक्ष में अधिहरण (Confiscate) किये जाने हेतु न्यायालय से याचना की गयी।

न्यायालय द्वारा नोटिस के माध्यम से वाहन स्वामी व उसके प्रतिनिधि पत्नी व वाहन चालक को अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक- 09.03.2026, 16.03.2026, 23.03.2026, 30.03.2026, 06.04.2026, 13.04.2026 की तिथियाँ नियत करते हुये अवसर प्रदान किया गया परन्तु वाहन स्वामी व उसके प्रतिनिधि पत्नी व वाहन चालक द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। राज्य की ओर से विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन लखनऊ श्री अवधेश कुमार सिंह को सुना गया जिनके द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से उक्त वाहन को राज्य के पक्ष में अधिहरण किया जाना उचित बताया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर **दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में उक्त वाहन को राज्य के पक्ष में अधिहरण (Confiscate) किये जाने का आदेश पारित किया गया।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-686

दिनांक-28.04.2026

लखनऊ कमिश्नरेट के अन्तर्गत थाना-ठाकुरगंज क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

कार्यवाही का विवरण-

न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः 62(13)/2026 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित **विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए दिनांक-27.04.2026 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0 सं0	वाद सं0	नामपता विपक्षी	आपराधिकइतिहास				जिलाबदर की अवधि
				क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
कैसरबाग	1	62(13)/2026	परवेज उर्फ मुन्ना उम्र 36 वर्ष पुत्र पुत्तन खाननिवासी सलीम कबाड़ी के नीचे भगवान के घर में किराये पर डूडा कालोनी राधाग्राम थाना ठाकुरगंज, लखनऊ	1	23/2025	303(2)/317(2) BNS	वजीरगंज	06 माह
				2	38/2025	317(2)/317(4) BNS	ठाकुरगंज	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-688

दिनांक-28.04.2026

जोन- पूर्वी / थाना- चिनहट

- नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी
- थाना चिनहट पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को नेड़ा मोड़ से किया गया गिरफ्तार
- अपहृत नाबालिग लड़की को पुलिस टीम द्वारा सकुशल बरामद किया गया
- प्रकरण में मु0अ0सं0 223/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत
- अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित, बयान व साक्ष्य संकलन जारी

01-कार्यवाही का विवरणः-

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 223/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त अमन रावत पुत्र भुल्लू, निवासी नौबस्ता कला थाना चिनहट जनपद लखनऊ, उम्र करीब 26 वर्ष को दिनांक 28.04.2026 को नेड़ा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.04.2026 को वादी द्वारा थाना चिनहट पर तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त अमन रावत द्वारा बहला-फुसलाकर शादी करने के उद्देश्य से अपने साथ भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 223/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 धनंजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी।

पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 28.04.2026 को नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया गया तथा धारा 180 बीएनएसएस के तहत बयान एवं अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है। तत्पश्चात अभियोग में वांछित अभियुक्त अमन रावत को नेड़ा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।

03-अनावरित अभियोग का विवरणः-

01. मु0अ0सं0 223/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना चिनहट, जनपद लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अमन रावत पुत्र भुल्लू, निवासी नौबस्ता कला थाना चिनहट जनपद लखनऊ, उम्र करीब 26 वर्ष

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

01. उ0नि0 धनंजय कुमार सिंह, थाना चिनहट, लखनऊ
02. उ0नि0 दिलीप कुमार, थाना चिनहट, लखनऊ
03. हे0का0 राजकुमार, थाना चिनहट, लखनऊ